न्यायालय :– फिरोज अख्तर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश

कमांक / 62 /स्टेनो/2025 **नर्मदापुरम, दिनांक :– 28/03/2025**

।। विविध–आदेश।।

मैं फिरोज अख्तर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 212 एवं 450 (दंड प्रकिया संहिता की धारा 192 एवं 410) में दिये गये प्रावधानों एवं प्रशासनिक आधार पर निम्नानुसार आदेशित करता हूं:–

1. तृतीय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, नर्मदापुरम (रिक्त न्यायालय) के न्यायालय में लंबित समस्त आपराधिक प्रकरणों को उक्त न्यायालय से प्रत्याहरित कर विधिवत् निराकरण हेतु श्रीमती दिव्या मित्तल, द्वितीय सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, नर्मदापुरम के न्यायालय में अंतरित करता हूं।

2. तृतीय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, इटारसी (रिक्त न्यायालय) में लंबित समस्त आपराधिक प्रकरणों को उक्त न्यायालय से प्रत्याहरित कर विधिवत् निराकरण हेतु श्री यतिन अग्रवाल, प्रथम सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, इटारसी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश इटारसी के न्यायालय में अंतरित करता हूं।

3. प्रथम सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, इटारसी (रिक्त न्यायालय) के न्यायालय में लंबित समस्त आपराधिक प्रकरणों को उक्त न्यायालय से प्रत्याहरित कर विधिवत् निराकरण हेतु श्रीमती प्राची कौरव, प्रथम सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, इटारसी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश इटारसी के न्यायालय में अंतरित करता हूं।

4. द्वितीय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पिपरिया (रिक्त न्यायालय) के न्यायालय में लंबित समस्त आपराधिक प्रकरणों को उक्त न्यायालय से प्रत्याहरित कर विधिवत् निराकरण हेतु श्री अखिलेश चाण्डक, प्रथम सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पिपरिया के न्यायालय में अंतरित करता हूं।

नोट– यह आदेश संबंधित न्यायिक अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्रभावशील रहेगा।

फिरोज अख्तर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम

प्रतिलिपि–

1. माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, नर्मदापुरम की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

28/3/25

फिरोज अख्तर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम